

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 26.09.2023

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, नौसादर एवं यूरिया के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त समीम अली पुत्र साबिर अली निवासी शहीद अब्दुला नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर व 03 किलो यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 577/2023 धारा 272 भादवि व 60 अबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

समीम अली पुत्र साबिर अली निवासी शहीद अब्दुला नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम नौसादर व 03 किलो यूरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विवेक सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. का0 टिपु सुल्तान थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. का0 सुनिल यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर